शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 28/जी0आई0-249/बावन-1-2014-01(116)/13

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 18 जून,2014**

विषय -12वीं पंचवर्षीय योजना में अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, की दिनांक 26.08.2013 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 70वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद बागपत के विकास खण्ड-छपरौली में 06 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिये केन्द्रांश की प्रथम किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर , अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्य- 3/19(5)/2012-पी0पी0, दिनांक 20.09.2013 से जनपद बागपत के उक्त विकास खण्ड में 06 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए कुल अनुमोदित लागत ₹0 25.38 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 25.38 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 12,69,000/-(रू0 □□□□ □□□ उन्हत्तर □□□□ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्रस्तावित बजट : 0 4000.00 लाख के सापेक्ष पारित 04 माह के लेखानुदान में से रू0 12.69 □□□ अवमुक्त □□□□ हुए आपके निवर्तन पर रखने व य करने की श्री राज □□□ □□□□□ □□□नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रू0 लाख में)

विकास खण्ड- □□□□□										
क्र0	□□□□	□□□□	□□□	□□□ □□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	□□□ □□□	अवमुक्त प्रथम किश्त		अवमुक्त □□□ □□□□□ (□0+□0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	□□□□	सौती और टांडा में आंगनवाड़ी केन्द्र	06	4.23	25.38	0.00	25.38	12.69	0.00	12.69
		□□=	**06**	**4.23**	**25.38**	**0.00**	**25.38**	**12.69**	**0.00**	**12.69**

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्ष स्तर की स्वीकृ□□, यदि वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक □□, प्राप्त □□□□ ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किय जायेगा। धनराशि निर्गत होने के एक माह के पश्चात् प्रथम किश्त □□ □□□□ □□□ अधोमानक निर्माण कार्य के निराकरण होने तथा कार्य गुणवत्तापूर्ण होने की पुष्टि कर ली □□□□□

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर □□□□ के मार्ग-निर्देशों तथा समय-02 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की □□□ लाइन्स के अनुरूप कराया जायेगा

3- आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ नामित है। अवमुक्त □□□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्या□, □0प्र0 लखनऊ द्वारा □□□□, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज**, □□□□ □ हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अवमुक्त ध□□□□ □□03 माह में पूरा कर □□□ जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती , तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी □□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्या□, □0प्र0 □□□□ □□□□□□□, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,** □□□□ के मध्य □□ □□□ □ □□0 □0□0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- □□□शि योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा- निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार आहरि कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्ड र क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपा सुनिश्चित करते हुये गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जायेगा। निर्माण कार्य में किसी

http://sisanadesh.up.nic.in

तरह की अनियमितता पाये जाने पर प्र गत आंगनवाड़ी योजना से सम न्धित सभी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट □□□ विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-821/□□□-1-2009-1(1)/2009, दिनांक 30 मार्च, 2009 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेग मात्रात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया □□□□□

8- आहरित धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य □□ □□ □□□□□ □□ □हरण न किया गया हो।

9- अवमुक्त धनराशि को व्यय किये जाने के उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण-कार्यों के फोटोग्राफ्स की दो-02 प्रतियां जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ □□ उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य □□□□□ □□□□ □□ उपलब्ध कराये जायेंगे।

10- मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के लिये निदेशक, अल्पसंख्यक कल्य □, □0प्र0 लखनऊ द्वारा एक अलग खाता न किया □□□□□

11- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक स्थायी बोर्ड भी बनाया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृति की तिथि, वित्तीय-स्रोत, योजना की लागत, कार्य पूर्ण होने की तिथि तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि अंकित होगी।

12- योजना के लिए निर्विवाद भूमि की उपलब्धता जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा जो कार्य कराये जायें , जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वह कार्य समय से गुणवत्तापूर्ण ढ़ग से पूर्ण कराये जायं।

13- सम्बन्धित विभाग महिला कल्याण विभाग द्वारा कार्य को पूर्ण कराने हेतु माइल स्टोर तय करा लेंगे ताकि समयबद्ध ढ़ग से कार्य पूर्ण कराया जा सके एवं उनकी □□□-समय पर समीक्षा की जा सके।

14- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विभागीय अधिकारी र -□□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण □0प्र0 □□□□, मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जिल अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा जनपद में कराये जाने वाले कार्य नियमित रूप से समय-समय पर निरीक्षण/भौतिक सत्यापन का गुणवत्तापूर्ण ढ़ग से कार्य कराया जायेगा।

http://sansadanesh.up.nic.in

15- यदि कार्यदायी संस्था □□ अधिकारी द्वारा किसी कार्य में अनियमित्ता की जाती है तो उसके विरूद्ध वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा की जाय तथा यह शासकीय क्षति होती है तो दोषी अधिकारी के वेतन से वसूल किया जाय।

16- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान एवं तद न्धी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्तवर्ती अर्वा□ □□ □□□ आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 □□ □□ □□-व्ययक एवं तद्सम न्धी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो□□□

17- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2013-14 □□ □□- व्यय□ के अनुदान संख्या-48 □□**लेखा शीर्षक"4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण□ □□ पूँजीगत परिव्यय -02-समाज कल्याण□-800-अन्य व्यय -01- केन्द्रीय □□□□□□□/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-01104-अल्पसंख्यक□ बाहुल्य जनपदों में सेक्टोर□ डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थाप□□ (केन्द्रांश 100/□□0-□□0)-24 वृहद निर्माण कार्य"** के नामें □□□□ □□□□□□

18- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-□-11-834/□□-2014, दिनांक 16-06-2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□□□

<u>संख्या (1)/□□□□-1-2014तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□□□□□□□□, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□□□□□□□□

2- □□□□□□□□□, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□□

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □□□□□

4- □□□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11□□□□□, पर्यावरण भवन, □□0□□0□0 काम्पलेक्स □□□□ □□□, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण□, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आंगनवाड़ी केन्द्रों के□ निर्माण हेतु स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को शीघ्र उपलब्ध □□□□□□□ सम्बन्धित को अपने स्□ □□ निर्देशित करने के साथ ही प्रश्नगत केन्द्रों का□ गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- □□□□□, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहा□, □0प्र0 □□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, □□□□ □□ □□ आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के साथ ही समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

8- □□□□, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,** □□□□ को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थलों की सूची प्राप्त कर गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□ □□□, □□□□□

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, □□□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ □□ इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को अल्पसंख्यक कल्याण □□□ वक्फ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11- □□□ □□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण □□□ □□ □□0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- □□□ □□□, □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवगतार्थ।

13- वित्त (□□-व्यय□) □□0-1 □□ 03 स्वच्छ प्रति सहित/वित्त-□-11□

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in